

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ३०प्र०, लखनऊ।

संख्या-४डी(1)/०४/२०२२/

लखनऊः दिनांकः २७/१२/२०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व० डा० रफी परवेज, चिकित्साधिकारी (ब्लड बैंक), मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ की मृत्यु दिनांक- २३.१२.२०१८ को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती शाजिया हासमी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली १९७४, यथा संशोधित अधिनियम, ३०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं०-५-४०९९/९०१/२०२२-४-१/३६८६४७/ २०२३, दिनांक १४.०८.२०२३ के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी० -VI (II), दिनांक २७.१२.२०२२, द्वारा प्राख्यापित “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली २०२२” में निहित प्राविधान के अन्तर्गत प्रमुख अधीक्षक, मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के पत्र संख्या- मृ०आ०/शाजिया हासमी/२०२३-२४/१६८१, दिनांक- ०९.१०.२०२३ जो अपर निदेशक (कार्मिक) द्वारा दिनांक- २७.१०.२०२३ को ४डी(1) कार्यालय को उपलब्ध कराया गया एवं पत्र संख्या-एम-१/चि०आ०/२०२३-२४/२२७१, दिनांक- १४.१२.२०२३ तथा प्रकरण में किये गये अन्य पत्राचार एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख अधीक्षक, मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैण्ड रु० ५२००-२०२० एवं घेंड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में “उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-१९९४” के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् खतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में “उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-१९९४” के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अनिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त ख्यालित प्रमाण पत्र।
 - (इ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - (ঃ) অবি঵াহিত হোনে কা প্রমাণ পত্র, যদি বিবাহিত হো তো এক জীবিত পত্নী কা ঘোষণা পত্র।
5. यह नियुक्ति ३०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली-२०२२, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-VI (II), दिनांक २७.१२.२०२२ में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०६०६०सी०सी० सोसासी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वर्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
6. कार्मिक अनुभाग-२, ३०प्र० शासन अधिसूचना संख्या- ६/१२-७३-का-२-२००१, दिनांक- १२.१०.२००१ में (नियम-५ का संशोधन) के बिन्दु-३ एवं बिन्दु-४ में यह प्राविधान है कि-
 - 3- उक्त नियमावली में नियम-५ में वर्तमान उपनियम-२(२) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्- “(३) उपनियम (१) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (१) के अधीन होगी कि उप नियम (१) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।”



4-जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम-(3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

यह नियुक्ति उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्रीमती शाजिया हाशमी पत्नी ख्व ० डा० रफी परवेज अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समृच्छित देखभाल करती रहेंगी। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केवलीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्रीमती शाजिया हाशमी की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह नवम्बर, 2024 के अंतिम कार्यादिवस में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्रीमती शाजिया हाशमी द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्रीमती शाजिया हाशमी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०)
आई०ए०ए०स०
निदेशक (प्रशासन)

संख्या- ४टी(1)/०४/२०२२/ ७४२७ - ३९

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४ / ३
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
4. अपर निदेशक (कर्मिक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
7. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रमुख अधीक्षक, मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९, १० एवं १२ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि श्रीमती शाजिया हाशमी पत्नी ख्व ० डा० रफी परवेज का स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराना का कष्ट करें।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी आजमगढ़।
11. श्रीमती शाजिया हाशमी पत्नी श्री रफी परवेज, निवासिनी- ९७, एकमा रोड, एस०बी०आई० कैम्पस, नवतनवा, लक्ष्मीपुर रैंज, जनपद- महाराजगंज, पिन- २७३१६२ (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

(डा० राजना खरे)

भाष्ट निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)

२१.१२.२०२२